संगठनों का संयुक्त ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम

दिनांक : 9.4.2015

श्रीमति वसुधंरा राजे,
मुख्यमंत्री,
राजस्थान सरकार

विषय : पुलिस थाना नागौर सदर में एफ.आई.आर. नं. 38/2015 धारा 447, 307, 326, 147, 149, 302 आई.पी.सी. में तुरंत जांच करवाने बाबत।

महोदया,

हम राजस्थान के विभिन्न मानवाधिकार व सामाजिक संगठन स्तब्ध हैं कि राजस्थान में दलितों को आज भी इंसान नहीं समझा जाता है और उनके साथ गंभीर अमानवीय कृत्य किया जाता है, तब भी सरकार व जिला पुलिस प्रशासन को जू तक नहीं रेंगती है। 19 फरवरी 2015 को बाबू लाल मेघवाल व उसकी माँ जड़ाव व उसका बेटा हरेन्द्र गांव बसवानी जिला नागौर में अपने खेत में बनी झोपड़ी में सो रहे थे तब अन्नाराम, छेल्लाराम व अन्य 8–10 रायका देवासी ने जमीन हथियाने की बदनीयत से झोपड़ी में आग लगा दी जिससे तीनों बुरी तरह जल गये व बाबूलाल जी की माँ जड़ाव की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई और हरेन्द्र की स्थिति आज भी गंभीर बनी हुई है।

नागौर सदर थाने में तत्काल 19 फरवरी 2015 को मुकदमा संख्या 38/2015 दर्ज किया गया व जांच अधिकारी, वृत्ताधिकार नागौर को सौंपा गया व अनुसंधान में आरोप को प्रमाणित करने की पुष्टि भी हुई। लेकिन मुल्जिमों को आज दिन तक गिरफ्तार नहीं किया गया और जांच अजमेर वृताधिकार ग्रामीण को सौंप दी गई, जिनकी जांच भी आरोपियों के खिलाफ रही। लेकिन अपराधियों ने जांच को एक बार फिर आगे नहीं बढ़ने दिया और पीडितों को लगातार थाना सदर नागौर के थानाधिकारी श्री भँवर लाल देवासी के जरिये धमकाया जा रहा हैं कि वे मामले में समझौता कर लें।

मुकदमा संगीन धाराओं 447, 307, 326, 147, 149, 302 आई.पी.सी. में दर्ज होने के बावजूद राजनीतिक प्रभाव के कारण अपराधियों को बचाया जा रहा है। पिछले 27 फरवरी, 2015 से नागौर कलेक्ट्रेट के बाहर बसवाणी के मेघवाल समाज व अनुसूचित जाति संघर्ष समिति के बैनर तले धरना चल रहा है।

अफसोस की बात है कि अजमेर आई.जी. के निरक्षण में चल रही जांच केवल अपराधियों का बचाव कर रही है, हत्या की कोशिश के आरोपियों की गिरफ्तारी आज दिन तक नहीं हुई है। जबकि 6 हफ्तों से ऊपर हो गये है।

- हम राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री व गृहमंत्री से मांग करते है कि तुरंत दोषी व्यक्तियों जो एफ.आई.आर. में नामजद है उनकी गिरफ्तारी की जाये।
- दोषी पुलिस अधिकारियों जैसे थाना सदर के थानाधिकारी व अजमेर में अन्य के खिलाफ जांच की जाये।
- एस.पी. नागौर व आई.जी. अजमेर से पूछा जाये कि जांच में की जा रही लापरवाही व मुल्जिम पक्ष के बचाव को लेकर क्यों न भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166 ए के तहत कार्यवाही की जाये।
- बाबूलाल को मुआवजा व पक्का घर दिया जाये व बाबूलाल की मां की हत्या को लेकर अनुसूचित जाति, जनजाति पर की जा रही प्रताड़ना का निषेध कानून के तहत मुआवजा दिया जाये।
- हरेन्द्र का इलाज देश के उच्चकोटी के अस्पताल में करवाया जाये।
- बसवाणी गांव को दलित अत्याचार प्रवृत इलाका घोषित किया जाये जैसे 1989 का अ. जा.ज.जा. प्रताड़ना निषेध कानून के तहत कहा गया है।
- थानाधिकारी नागौर सदर को बदला जाये।
- भविष्य में पुनरावृति ना हो इसको लेकर योजना बनाई जाये।

हम हैं :

- प्रेमकृष्ण शर्मा, राधाकान्त सक्सेना, कविता श्रीवास्तव (पी.यू.सी.एल. राजस्थान)
- पी.एल. मीमरोठ, सतीश, (दलित अधिकार केन्द्र)
- अरूणा रॉय, शंकर सिंह, निखिल डे (मजदूर किसान शक्ति संगठन)
- ममता जैटली, कपिल सिह सांखला (पी.यू.सी.एल. जयपुर)
- सुमन देवठिया (दलित महिला मंच)
- निशा सिद्धू, राजकुमारी डोगरा (एन.एफ.आई.डब्ल्यू.)
- रेणुका पामेचा (महिला पूर्नवास समूह)
- भँवर मेघवंशी (दलित, आदिवासी एवं घूमंतु अधिकार अभियान)
- सवाई सिंह (राजस्थान समग्र सेवा संघ)
- मुकेश गोस्वामी व कमल टांक (सूचना का अधिकार मंच)

Address : 76, Shanti Niketan Colony, Kisan Marg, Tonk Road, Jaipur-302015
Phone : 0141-2594131, 9351562965
Email : pucl.rajasthan@gmail.com